न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/173/19	15–10–2019	18–11–2020

1. दीनदयाल पुत्र रामकुमार महाजन जाति महाजन निवासी स्कीम नं0 2 प्लाट नम्बर 215 अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. आयुक्त नगर परिषद, अलवर।
2. अध्यक्ष, नगर परिषद् अलवर।

रेस्पौडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा आयुक्त नगर परिषद, अलवर, विरूद्व डिमान्ड बिल संख्या 149 दिनांक 16.12.2013

उपस्थितः–

1– श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलान्ट्स
2– श्री भँवर सिंह नरूका –वकील रेस्पो

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील डिमान्ड बिल अन्तर्गत नगर पालिका अधिनियिम के तहत आयुक्त नगर परिषद अलवर के विरूद्व आदेश डिमान्ड बिल संख्या 148 दिनांक 16.12.13 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट जारी किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई । बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व मकान नम्बर 48/115 स्टेशन रोड अलवर का प्रतिवर्ष 9990/– रूपये हाउस टैक्स के नाम पर नगरीय विकास कर गलत तरीके पर लगाया है। डिमान्ड बिल पर हीरो होण्डा के सामने , अपीलान्ट की दुकान व भवन नहीं है। अपीलान्ट की दुकानों में से तीन दुकान अलग–अलग विक्रय कर एक दुकान किशनलाल पुत्र कन्हैयालाल व महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति धोबी निवासी देहली दरवाजा भीतर को विक्रय कर दी है। दूसरी दुकान श्रीमति पुष्पा गुप्ता धर्मपत्नि नरेश कुमार गुप्ता को एवं तीसरी दुकान रश्मी धर्मपत्नि कमल कुमार को विक्रय की है। तहत अदालत द्वारा मौके पर कोई जांच नहीं की है। अपीलान्ट के विरूद्व नगरीय विकास कर देय नहीं है। अपीलान्ट अलग–अलग विक्रय पत्र से दुकान विक्रय कर चुका है। तहत अदालत द्वारा डिमान्ड बिल जो जारी किया वह गलत जारी किया गया है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलीय बिल की अदायगी की कोई जिम्मेदारी अपीलान्ट की नहीं है। दुकानें जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित की जा चुकी है जो खरीदारान के कब्जे है। अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद के साथ पेश की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन डिमान्ड बिल निरस्त किया जावें।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील रेस्पौडेन्ट ने अपनी वहस में कोई कथन नहीं किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणो की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश क्रमांक दिनांक 16–12–2013 के विरूद्ध दिनांक 08–04–2014 को पेश की है, जो करीब 5 माह विलम्ब से पेश की गई है। वकील रेस्पौ0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील पेश करने में हुये विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रकरण में अव मुख्य विवाद का विन्दु यह है कि विवादित दुकान अपीलान्ट की है अथवा खरीदारान की ? तहत अदालत द्वारा डिमान्ड विल जो जारी किया वह गलत जारी किया गया है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलीय बिल की अदायगी की कोई जिम्मेदारी अपीलान्ट की नहीं है। दुकानें जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित की जा चुकी है जो खरीदारान के कब्जे है। अतः अपील अपीलान्ट रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नगर परिषद अलवर का डिमान्ड बिल आदेश दिनांक 16–12–2013 बाबत निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ आयुक्त नगर परिषद अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार जॉच कर एवं पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)